उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–432–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2020–3(411)ई0एम0–03/15 **दिनांकः 11 फरवरी, 2021**

अधिशासी अभियन्ता (मु0), नियोजन स्कन्ध,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
तृतीय तल, शक्तिभवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : दिनांक 16.01.2020 से त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता इं0 अंकित सिन्हा (2015411), को नियमानुसार देय ग्रेच्युटी की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री अंकित सिन्हा (2015411) सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1183–अ0प्र0–03/पाकालि/2020 दिनांक 03.09.2020 का त्याग–पत्र स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.12.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सूचनीय है कि लेखाधिकारी (पेंशन), के पत्र दिनांक 29.12.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार श्री अंकित सिन्हा (2015411), त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता को ग्रेच्युटी गणना (Payment of Gratuity act 1972 के अन्तर्गत) की आगणन विधि से अवगत कराया है।

विदित है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–5313 दिनांक 13.12.2010 के माध्यम से दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त कार्मिको को पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, से आवरित होने के कारण, श्री अंकित सिन्हा (2015411) के विरूद्ध कारपोरेशन स्तर पर कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि का प्रकरण प्रचलित न होने के दृष्टिगत, ग्रेच्युटी अधिकृत करने में कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है, तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, (यदि कोई हों), का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, जो खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 28.102014 से दिनांक 16.01.2020 तक सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे श्री अंकित सिन्हा (2015411), त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता को, ग्रेच्युटी की स्वीकृति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.12.2020 तथा लेखाधिकारी (पेंशन) द्वारा प्रेषित पत्र सं0–4945 दिनांक 29.12.2020 की प्रतियां संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित हैं कि अधि0प्रब0–03 अनुभाग के सूचनाधीन ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अपने स्तर से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

संख्या :432(।)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2021, तद्‌दिनांक : 11.02.2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

2– मुख्य अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 29.12.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के संदर्भ में।

5– श्री अंकित सिन्हा (2015411), पुत्र श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, त्याग–पत्रित सहायक अभियन्ता, मकान नं0–23, वृन्दावन योजना, सेक्टर –10ए, लखनऊ, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2020 के सन्दर्भ में इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि भुगतान के सम्बन्ध में वांछित प्रपत्र सम्बन्धित खण्ड/इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– कट फाईल/उ0प्र0पा0का0लि0, की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)